28/12/24 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित आये। का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली में नक्शा मुताबिक नम्बर [illegible] पत्रावली कुल बाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर (कार्यवाहक)
मुख्तावर (खैरथल-तिजारा)

अन्तर्गत धारा 212 RT Act 1955
प्रार्थना पत्र संख्या :– 145/25
अनुवान :– हरीश बनाम पिस्ता देवी
आदेश दिनांक :– 06.02.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
145/2025	17.06.2025	06.02.2026

बउनवान

1. हरिश पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी जिन्दौली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. पिस्ता देवी पत्नी रूपनारायण
2. मोहित शर्मा पुत्र श्री दिनेश
3. रोशनलाल
4. ओमप्रकाश
5. योगेश कुमार
6. दिनेश पुत्रान रूपनारायण जातियान ब्राहमण निवासीयान जिन्दौली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. लैण्ड होल्डर जरिर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

श्री अनिल यादव –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री अमित चौधरी –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0 दी० मिन प्रार्थी की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि उक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन मे मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रायमा फैसाई आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी खाता सं0 271 जिसके हाल ख0 नं0 हाल 836 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

4. यह है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण की दादालायी पैत्रिक आराजी है, जिसमें मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपने दादा व पिता से जरिये विरासत प्राप्त हुयी है। मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है।

5. यह है कि उक्त आराजी में से 1/6 भाग अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज अपना जीवन यापन के लिये दर्ज करायी गयी थी कि उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 के जीवीत रहने तक अप्रार्थी सं0 1 उपयोग उपभोग करती रहेगी तथा उसकी फौतगी के बाद अप्रार्थी सं0 1 के नाम हिस्से की आराजी में से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सम्भाग में खातेदार काश्तकार हो जायेगें लेकिन अप्रार्थीगण आपस में साज बाज होकर उक्त आराजी का दानपत्र अप्रार्थी सं० 1 ने अप्रार्थी सं0 2 के नाम दिनांक 22/01/2025 को पुस्तक सं० 1 जिल्द सं0 634 पृष्ठ सं० 111 कम सं० 202503252100291 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 2195 के पृष्ठ सं0 41 से 42 पर चस्पा किया गया है। जबकि अप्रार्थी सं0 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आराजी में मिन प्रार्थी का बाई बर्थ हक व अधिकार हिस्सा निहित है क्योंकि उक्त आराजी दादालायी आराजी है जिसमें मिन प्रार्थी का बाई बर्थ हक हकूक निहित है जिसे मिन प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस दानपत्र को मिन प्रार्थी अपने हिस्से तक नल एण्ड वाईड घोषित कराने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक पेश करना लाजिमी आया है। आराजी ख० नं० 826 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर में स्थित है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के हक में दिनांक 22/01/2025 को कराया गया दानपत्र मिन प्रार्थी के हिस्से तक निरस्त फरमाया जावे एवं मिन प्रार्थी को उक्त आराजी का सम्भाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा इसी कदर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद कराया जावे। आदेश दिये जावे।

6. यह है कि बिना थी को अपनी दादी अप्रार्थी सं0 1 से विरासतन प्राप्त हुयी है जिस पर मिन प्रार्थी करीब 25 साल से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त आराजी मिन प्रार्थी की दादालायी होने के कारण नोशनल शेयर है। जिसमें मिन प्रार्थी का बाई बर्थ हक वो अधिकार है। पक्षकारान का सजरा निम्न पेश है।

पिस्ता देवी

बाबूलाल	रोशनलाल	ओमप्रकाश	योगेश	दिनेश

हरिश पुत्र	रजनी पुत्री	मंशा पुत्री	गीता देवी पत्नी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. यह है कि आराजी खाता सं0 271 जिसके हाल ख० नं० हाल 836 रकबा 3.16 हैव0, वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है जो अप्रार्थी सं० 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज था जिसमें से अप्रार्थी सं० 2 ने उक्त आराजी में से मिन प्रार्थी को उसका हिस्सा मौके पर दिया गया था तथा मिन प्रार्थी अर्सा करीब 25 साल से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिस आराजी में मिन प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बाई बर्थ अधिकार रक्षित है।

8. यह है कि मिन प्रार्थी को उक्त दानपत्र की कोई जानकारी नहीं थी मिन प्रार्थी को उक्त दानपत्र की अब दिनांक 30/05/2025 को जानकारी हुयी जिस पर मिन प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 व 2 को उक्त दानपत्र निरस्त कराकर अपने नाम आराजी दर्ज कराने की कही तो अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि हमने उक्त आराजी का इंतकाल भी दर्ज करा लिया है और जो आराजी तेरे कब्जे में है उस पर जबरन कब्जा करेगें व उक्त आराजी का दानपत्र के आधार पर बेचान करेगें अप्रार्थीगण सभी आपस में साज बाज है जबकि अप्रार्थीगण को उक्त आराजी बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार हांसिल नहीं है। मिन प्रार्थी उक्त दानपत्र को अपने हिस्से तक निरस्त कराने का अधिकारी है। इसलिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वो मिन प्रार्थी को आराजी ख० नं0 836 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर से जबरन बेदखल ना करे ना ही मिन प्रार्थी के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे ना ही उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करे। राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

9. यह है कि अप्रार्थीगण उक्त दादालायी आराजी का बेचान करने की फिराक में है। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी मिन प्रार्थी का जीवन बर्बाद हो जायेगा। जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, तथा दीगर मुकदमें बाजी में फसंना पडेगा जबकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, जिनकी रक्षार्थ हेतू प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

10. यह है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 30/05/2025 को मिन प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी का राजस्व रिकोर्ड हमारे नाम दर्ज है हम उक्त आराजी का बेचान करके रहेगें बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

11. यह है कि उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थी के अधिकार कानूनन सुरक्षित है, तथा बैलेन्स ऑफ कन्वीनेंश और सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना रूपयों पैसो में आंकना नामुमकिन है। इसलिये मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर अर्ज है कि अप्रार्थीगणो को जरिये हु० ई० दवामी चन्दरोजा से इस अमर से सादिर पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी ख० नं0 836 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है को अप्रार्थीगण कहीं दीगर जगह रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, तथा मिन प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करे, ना प्रार्थी को बेदखल करे, राजस्व रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0 दी0 व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं0 1 व 6 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 3 इतना स्वीकार है कि आराजी वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की दादालायी पैत्रिक आराजी नहीं है क्योंकि प्रार्थी के पिता बाबूलाल ने उक्त आराजी ख0 नं0 836 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली में स्थित आराजी में से अपना हिस्सा 1/12 भाग दिनांक 08/07/2022 को मनीषा देवी पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी जिन्दोली तहसील मुण्डावर को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के कर दिया है। प्रार्थी का अब उक्त आराजी में कोई हक हकूक निहित नहीं है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का उक्त आराजी में कोई हित निहित नहीं है। क्योंकि प्रार्थी के पिता बाबूलाल ने उक्त आराजी ख0 नं0 836 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली में स्थित आराजी में से अपना हिस्सा 1/12 भाग दिनांक 08/07/2022 को मनीषा देवी पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी जिन्दोली तहसील मुण्डावर को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के कर दिया है। प्रार्थी का अब उक्त आराजी में कोई हक हकूक निहित नहीं है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज करमाया जावे। प्रार्थी अप्रार्थी सं० 1 द्वारा किये गये दानपत्र को निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 जिस कदर बयान किया गया है कतई गलत है स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी के पिता बाबूलाल ने उक्त आराजी ख0 नं0 836 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली में स्थित आराजी में से अपना हिस्सा 1/12 भाग दिनांक 08/07/2022 को मनीषा देवी पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी जिन्दोली तहसील मुण्डावर को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के कर दिया है। प्रार्थी का अब उक्त आराजी में कोई हक हकूक निहित नहीं है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी के पिता बाबूलाल ने उक्त आराजी ख0 नं0 836 रकबा 3.16 है0, वाके ग्राम जिन्दोली में स्थित आराजी में से अपना हिस्सा 1/12 भाग दिनांक 08/07/2022 को मनीषा देवी पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी जिन्दोली तहसील मुण्डावर को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा के कर दिया है। प्रार्थी का अब उक्त आराजी में कोई हक हकूक निहित नहीं है। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 8 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त दानपत्र की पूर्व से जानकारी रही है। अब अप्रार्थी सं० 2 व 6 अपने हिस्से की आराजी का बेचान अपनी पारिवारीक आवश्यकता के लिये करने लगे तो प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण के बैयनामा को रूकवाने के लिये उक्त आराजी को दादालायी बताकर झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन आदेश दिनांक 17/06/2025 को प्राप्त कर लिया जिस कारण मिन अप्रार्थी का बैयनामा तस्दीक नहीं हो सका प्रार्थी मिन अप्रार्थी से दिली रंजिश रखता है जिसका उक्त आराजी में कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योकि प्रार्थी का पिता पूर्व में अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर चुका है। प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को हु0 ई0 दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

9. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 9 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी से दिली रजिश रखता है जो मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

10. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 10 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 30/05/2025 की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है प्रार्थी को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

सहायक [illegible] (प्रा०द्वि०)
मुण्डावर [illegible]

11. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 11 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी से दिली रजिश रखता है जो मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को हु0 ई0 दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी की बहस

प्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का उक्त आराजी से वैध अधिकार व सरोकार है। दिनांक 30.05.2025 की घटना वास्तविक है तथा उससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। अप्रार्थीगण के कृत्य से प्रार्थी को सुविधा के संतुलन में बाधा एवं संभावित क्षति की आशंका है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित है। यदि राहत नहीं दी गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं वांछित अनुतोष प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की बहस

अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस प्रस्तुत की गई कि जिम्मन सं0 9, 10 एवं 11 पूर्णतः असत्य एवं निराधार हैं। उक्त आराजी से अप्रार्थी का कोई वैधानिक संबंध या सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथित घटना दिनांक 30.05.2025 पूर्णतः मिथ्या, मनगढ़ंत एवं कल्पित है, जिससे कोई विधिक अधिकार या कारण–ए–दावा उत्पन्न नहीं होता।

प्रार्थी यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है कि– उसे कोई वास्तविक क्षति हुई है, या भविष्य में अपूरणीय क्षति होने की कोई ठोस संभावना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निजी रंजिश एवं दुर्भावनापूर्ण भावना से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करना है।

सुविधा का संतुलन पूर्णतः अप्रार्थीगण के पक्ष में है, तथा प्रार्थी किसी भी प्रकार के अनुतोष (Injunction/Relief) का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को मय हर्जा–खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।

सहायक [illegible] (फा0टे0)
मुख्यालय [illegible]–किशनगढ़)

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का गहन परीक्षण किया गया।

न्यायालय का विचार

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उसका उक्त आराजी से कोई वैधानिक अधिकार या प्रत्यक्ष सरोकार है। दिनांक 30.05.2025 की कथित घटना के समर्थन में कोई ठोस, विश्वसनीय एवं स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कथन प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हो। प्रार्थी द्वारा न तो कोई वास्तविक क्षति सिद्ध की गई है और न ही अपूरणीय क्षति की संभावना स्थापित की गई है। सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया गया।

आदेश

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक सिद्धांतों के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार, अस्थिर एवं काबिल–खारिज पाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0